

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 59-2025/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, MARCH 27, 2025 (CHAITRA 6, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 मार्च, 2025

संख्या 21/एसoटीo—1.— चूंकि, हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन अधिनियम, 2017(2017 का 35) के अधीन बकाया देयों की वसूली समीचीन है, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित शर्तों और निर्बन्धनों के अध्यधीन, अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निर्धारित बकाया देयों की वसूली के लिए निम्नलिखित स्कीम अर्थात् हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकबारगी व्यवस्थापन स्कीम, 2025 अधिसूचित करते हैं, अर्थात्:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।	1. (1) यह स्कीम हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकबारगी व्यवस्थापन स्कीम, 2025 कही जा सकती है।									
	(2) यह ऐसी तिथि से लागू होगी,जिसे सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेः									
	परन्तु इस स्कीम के अंतर्गत आने वाले विभिन्न सुसंगत अधिनियमों के लिए अलग–अलग									
	तिथि नियत की जा सकती है और इस स्कीम के प्रारम्भ हेतु ऐसे किसी उपबन्ध में किसी संदर्भ का उस उपबन्ध के लागू होने के संदर्भ के रूप में अर्थ लगाया जाएगा।									
परिभाषाएं।	2. (1) इस स्कीम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—									
	(क) "आवेदक" से अभिप्राय है, कोई भी निर्धारिती या कोई व्यक्ति, जो किसी सुसंगत अधिनियम के अधीन बकाया देय का भुगतान करने के लिए दायी है, चाहे पंजीकृत हो या नहीं और जो इस स्कीम के अधीन शर्तों का अनुपालन करके इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने का इच्छुक है; (ख) "नियत दिन" से अभिप्राय है, ऐसी तिथि जिसको इस स्कीम के उपबन्ध लागू होंगे; (ग) "आधिकारिक प्राधिकारी" से अभिप्राय है, समुचित निर्धारण प्राधिकारी जिसकी अधिकारिता के अंतर्गत विशिष्ट आवेदक आता है; (घ) "निर्धारित बकाया देय" से अभिप्राय है, कोई भी कर, ब्याज, जुर्माना या कोई अन्य बकाया किसी भी सुसंगत अधिनियम के अधीन 30 जून, 2017 तक की अविध के लिए निर्धारित, जिसका व्यक्ति द्वारा भुगतान नहीं किया गया है;									
	(ड) "व्यवस्थापन राशि" से अभिप्राय है, आवेदक द्वारा अपने निर्धारित बकाया देयों के व्यवस्थापन के लिए भुगतान की जाने वाली राशि।									
	(2) इस स्कीम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें सुसंगत अधिनियमों में दिए गए हैं।									

इस स्कीम के अंतर्गत वसूल किए जाने वाले निर्धारित बकाया देय, स्कीम के अंतर्गत प्ररूप ओटीएस—1 में आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को स्कीम के अन्य खंडों में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन निर्धारित बकाया देय होंगे।

निर्धारित बकाया देयों का निर्धारण।

- निर्धारित बकाया देय का निर्धारण वर्ष के अनुसार किया जाएगा तथा व्यवस्थापन के लिए स्लैब स्कीम के अंतर्गत अनुसूची-I के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
- हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 के नियम 28(6) तथा 29(7) के अधीन यथा विहित प्ररूप जी-3 में 'मांग एवं निपटान रजिस्टर' केवल उन मामलों में निर्धारित बकाया देयों का निर्णायक प्रमाण होगा, जहां मूल्यांकन का कोई अन्य रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

यह स्कीम निम्नलिखित अधिनियमों पर लागू होगी, अर्थात्:--

(1)

- हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6);
- केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 74); (ii)
- हरियाणा सुख-साधन कर अधिनियम, 2007 (2007 का 23);
- हरियाणा मनोरंजन शूल्क अधिनियम, 1955 (1955 का पंजाब अधिनियम 16);
- हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1973 (1973 का 20); (v)
- हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम, 2000 (2000 का 13); (vi)
- (vii) हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 (2008 का 8)।
- आवेदक किसी भी सूसंगत अधिनियम के अधीन स्कीम का चूनाव कर सकता है। (2)
- स्कीम के अधीन भुगतान की गई कोई भी राशि सुसंगत अधिनियम के खजाना शीर्ष, जिसके लिए स्कीम का चुनाव किया जा रहा है, में जमा की जाएगी।
- आवेदक को उन सभी वर्षों के लिए अनुसूची-I के अनुसार प्ररूप ओटीएस-1 में केवल एक ही आवेदन करना होगा जिनमें उसके पास किसी सुसंगत अधिनियम के अधीन निर्धारित बकाया देय हैं जिसके लिए वह अपने निर्धारित बकाया देयों का व्यवस्थापन करना चाहता है।
- आवेदक को प्ररूप ओटीएस-1 में अपने आवेदन के साथ एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके द्वारा आवेदन पत्र में और स्कीम के अधीन अन्य प्ररूपों में दी गई जानकारी उसके सर्वोत्तम ज्ञान और अभिलेख पर सामग्री / दस्तावेजों के अनुसार सत्य और सही है। इसका कोई भी हिस्सा झूठा नहीं है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
- यदि कोई आवेदक किसी सुसंगत अधिनियम, जिसके लिए उसने विकल्प चुना है, के अधीन निर्धारित बकाया देयों वाले किसी भी वर्ष को छुपाता है, तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऐसे आवेदन के लिए प्ररूप ओटीएस-1 के साथ जमाँ की गई राशि को उसके कुल निर्धारित बकाया देयों में समायोजित किया जाएगा।
- सूसंगत अधिनियम के अधीन आवेदक के निर्धारित बकाया देयों का निर्धारण निम्नलिखित रीति और शर्तों के अध्यधीन किया जाएगा, अर्थात्:-
 - (i) जहां स्कीम के नियत दिन से पहले आवेदक द्वारा की गई जमा राशि का प्रयोजन / श्रेणी, कर, ब्याज या शास्ति के संबंध में विभाग द्वारा जारी जमा आवेदन/खजाना चालान/ रसीद आदि में निर्दिष्ट है, वही समझा जाएगा जैसा उसमें निर्दिष्ट की गई है।
 - जहां स्कीम के नियत दिन से पहले किसी आवेदक द्वारा सूसंगत अधिनियम के अधीन (ii) किसी सूसंगत निर्धारण वर्ष के लिए जमा की गई राशि का प्रयोजन /श्रेणी, कर, ब्याज या शास्ति के संबंध में विभाग द्वारा जारी जमा आवेदन/खजाना चालान/रसीद आदि में प्रयोजन / श्रेणी, कर, ब्याज या जुर्माना आदि विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, को प्रथमतः कर घटक के लिए जमा माना जाएगा और यदि कोई शेष राशि रह जाती है, तो उसे उसके बाद संबंधित अधिनियम के अधीन संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए ब्याज और शास्ति में समायोजित किया जाएगा।
 - (iii) किसी सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी विशेष वर्ष के लिए जमा राशि को केवल उसी स्संगत अधिनियम में उसी विशेष वर्ष की निर्धारित बकाया कर राशि या बकाया ब्याज राशि या बकाया शास्ति राशि से समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा, स्कीम के नियत दिन से पहले किए गए किसी भी अतिरिक्त भुगतान के संबंध में, जो सुसंगत अधिनियम के अधीन सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए कर घटक से अधिक है, स्कीम के अधीन आवेदक को कोई भी प्रतिदाय प्रोद्भूत नहीं होगा।

विस्तार और लागुकरण।

स्कीम का

निर्धारित बकाया देयों के निर्धारण के लिए पूर्व शर्ते।

- (iv) आवेदक द्वारा नियत तिथि से पहले, जमा की गई कोई भी राशि केवल उस निर्धारण वर्ष की कर देयताओं के लिए समायोजित की जाएगी जिसके लिए उसे जमा किया गया था। इसे केवल तभी समायोजित किया जाएगा जब जिस वर्ष के लिए इसे जमा किया गया है उसका उल्लेख खजाना चालान / रसीदों में स्पष्ट रूप से किया गया हो। किसी भी जमा राशि का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा यदि जिस वर्ष के लिए इसे जमा किया गया है उसका उल्लेख खजाना चालान / रसीदों में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है।
- (v) जहां नियत दिन से पहले सुसंगत अधिनियम के अधीन सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आवेदक द्वारा कुल कर राशि जमा कर दी गई है, तो आवेदक स्कीम के अधीन पात्र होगा और ब्याज या शास्ति के बदले स्कीम के अधीन व्यवस्थापन राशि सुसंगत अधिनियम के अधीन सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए 'शून्य' हो जाएगी।
- (vi) स्कीम के नियत दिन से पहले जमा की गई राशि में से किसी भी परिस्थिति में आवेदक को कोई भी प्रतिदाय नहीं मिलेगा, जो स्कीम की छूट के संचालन द्वारा करदाता की देयता से अधिक हो सकती है। इसी तरह, ऐसी कोई अतिरिक्त राशि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी और सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी भी अविध के लिए करदाता की किसी अन्य देयता के लिए समायोजित नहीं की जाएगी।
- (vii) जहां इस स्कीम के अंतर्गत स्कीम के नियत दिन को / इसके बाद से आवेदन प्ररूप ओटीएस—1 प्रस्तुत करने की तिथि तक जमा की गई कोई भी व्यवस्थापन राशि उसके निर्धारित बकाया देयों की व्यवस्थापन राशि के लिए गिनी जाएगी।

निर्धारित बकाया देयों का व्यवस्थापन।

- 6. (1) इस स्कीम के अधीन निर्धारित बकाया देयों के व्यवस्थापन का विकल्प चुनने वाले आवेदक को, उसके निर्धारित बकाया देयों के बदले में, व्यवस्थापन द्वारा, अनुसूची—Iक में यथा वर्णित राशि का भगतान करना होगा।
- (2) सुसंगत अधिनियम की किसी भी धारा के अधीन ब्याज और जुर्माने की राशि सुसंगत अधिनियम, जिसके लिए आवेदक ने आवेदन किया है, के अधीन उस विशेष वर्ष के लिए माफ कर दी जाएगी यदि आवेदन व्यवस्थापन के लिए सही पाया जाता है।
- स्पष्टीकरण— निर्धारित बकाया देयों पर सुसंगत अधिनियम की किसी धारा के अधीन उद्गृहणीय ब्याज को भी इस खंड के अंतर्गत उल्लिखित ब्याज में शामिल किया जाएगा।
- (3) जिस आवेदक पर सभी निर्धारण वर्षों के लिए कर के संचयी निर्धारित बकाया देय दस लाख रुपये तक है, जिनमें सुसंगत अधिनियम के अधीन निर्धारित बकाया देय है, उसे संचयी निर्धारित बकाया देय कर में से एक लाख रुपये की छूट मिलेगी, यदि आवेदन सफल पाया जाता है। आवेदन तभी सफल माना जाएगा जब आवेदक को प्ररूप ओटीएस—4 में व्यवस्थापन आदेश जारी किया जाता है:

यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी सुसंगत अधिनियम, जिसके लिए उन्होंने इस स्कीम के अधीन आवेदन किया है, के अधीन सभी निर्धारण वर्षों में दस लाख रुपये से अधिक संचयी बकाया देय कर रखने वाले आवेदकों को ऐसी कोई छूट स्वीकार्य नहीं होगी।

- (4) उप—खण्ड (3) में उल्लिखित छूट सहित किसी भी लाभ का फायदा उठाने के इच्छुक आवेदक को स्कीम के अधीन आवेदन करना होगा।
- (5) आवेदक अपनी निर्धारित बकाया देयों के व्यवस्थापन के लिए स्कीम के अधीन भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान एकमुश्त या इस स्कीम की अनुसूची—II के अधीन सूचीबद्ध किस्तों में करने का विकल्प भी चून सकता है।
- (6) आवेदक को व्यवस्थापन के अनंतिम आदेश की तिथि से साठ दिन के भीतर प्ररूप ओटीएस—1क में सूचना के साथ दूसरी किस्त का भुगतान करना होगा।
- (7) यदि अनुसूची—II में निर्दिष्ट अविध के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो स्वीकृति का अनंतिम आदेश वापस लिया गया माना जाएगा और यह माना जाएगा कि आवेदन कभी किया ही नहीं गया था और आधिकारिक प्राधिकारी तदनुसार प्ररूप ओटीएस—5 में अस्वीकृति का आदेश जारी करेगा और आवेदक के विरूद्ध लागू सुसंगत अधिनियम के अधीन कार्यवाही शुरू करेगा।
- (8) स्कीम के अधीन किसी भी स्तर पर भुगतान की गई व्यवस्थापन राशि का प्रतिदाय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा। इसे आवेदक के विरूद्ध निर्धारित बकाया देयों में से समायोजित किया जाएगा।

7. (1) कोई भी आवेदक, जिसके पास इस स्कीम के अधीन आवेदन ओटीएस—1 प्रस्तुत करने की तिथि तक सुसंगत अधिनियम के अधीन निर्धारित बकाया देय है, चाहे वह सुसंगत अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकारी या हरियाणा कर न्यायाधिकरण या पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील में हो या नहीं, अपने निर्धारित बकाया देयों के व्यवस्थापन के लिए स्कीम के अधीन आवेदन करने का विकल्प चुन सकता है:

आवेदन की प्रक्रिया।

परंतु वह प्ररूप ओटीएस-4क के रूप में व्यवस्थापन के अनंतिम आदेश की संसूचना के साठ दिन की अवधि के भीतर ऐसी अपील को पूरी तरह और बिना शर्त वापस ले लेगा।

- (2) आवेदक नियत दिन से एक सौ अस्सी दिन के भीतर स्कीम का विकल्प चून सकता है।
- (3) आवेदक व्यवस्थापन राशि या प्रथम किस्त, जो भी लागू हो, के भुगतान के प्रमाण के साथ प्ररूप ओटीएस—1 में ऑनलाइन आवेदन करेगा।
- (4) प्ररूप ओटीएस—1 प्राप्त होने पर, आवेदक को प्ररूप ओटीएस—2 में इलेक्ट्रोनिक रूप से सिस्टम जनित पावती जारी की जाएगी।
- 8. आवेदनों के प्रसंस्करण की प्रक्रिया निम्नलिखित रीति में होगी, अर्थात्:--

प्ररूप का सत्यापन तथा आवेदन का प्रसंस्करण।

- (क) आधिकारिक प्राधिकारी सबसे पहले पावती से दस दिन की अवधि के भीतर अधिकारिता वार्ड के उचित आबंटन के संबंध में प्ररूप ओटीएस—1 में आवेदन की जांच करेगा। ऐसे मामलों में जहां आवेदन उसके वार्ड से संबंधित नहीं है, इसे उचित आबंटन के लिए उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त को भेजा जाएगा। उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से दस दिन की अवधि के भीतर उसके द्वारा प्राप्त ऐसे आवेदन को उचित वार्ड आबंटित करेगा।
- (ख) आधिकारिक प्राधिकारी पावती की तिथि या उचित अधिकारिता में स्थानांतरण की तिथि से पैंतालीस दिन की अविध के भीतर स्कीम और सुसंगत अधिनयम के उपबन्धों के अनुसार इसके औचित्य, यथार्थता, निर्धारित बकाया देय और संबंधित व्यवस्थापन राशि की गणना और वैधता के संबंध में प्ररूप ओटीएस—1 में आवेदन की जांच और सत्यापन करेगा। वह उन सभी मामलों में प्ररूप ओटीएस—4 में व्यवस्थापन आदेश जारी करेगा, जहां आवेदक का दावा निर्धारित बकाया देय और उसकी स्व—मूल्यांकित व्यवस्थापन राशि, उसके भुगतान के प्रमाण, स्कीम के उपबन्धों और अन्य सभी प्रासंगिक विवरणों के मद्देनजर सही पाया जाता है:

या

वह प्ररूप ओटीएस—4क में अनंतिम निपटान का आदेश जारी करेगा, जहां आवेदक का दावा निर्धारित बकाया देयों और उसकी स्व—मूल्यांकित व्यवस्थापन राशि, उसके भुगतान के प्रमाण, स्कीम के उपबन्धों और अन्य सभी प्रासंगिक विवरणों के मद्देनजर सही पाई जाती है, किन्तु आवेदक ने किस्त का विकल्प चुना है या उसे अपील वापस लेने का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

- (ग) (i) यदि आवेदन प्ररूप ओटीएस—1 में कोई कमी / विसंगति है, तो प्ररूप ओटीएस—3 में कमी का नोटिस आवेदक को जारी किया जाएगा, जिसमें उसे कमीयों / विसंगतियों को दूर करने और इस नोटिस के जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर प्ररूप ओटीएस—3क में नोटिस का उत्तर देने के लिए कहा जाएगा।
 - (ii) यदि आवेदक कमी का नोटिस जारी होने के उपरान्त निर्धारित समय के भीतर आधिकारिक प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार, कमी / विसंगति को दूर कर लेता है, तो आधिकारिक प्राधिकारी द्वारा प्ररूप ओटीएस—4 में निपटान का आदेश या प्ररूप ओटीएस—4क में अनंतिम निपटान का आदेश, प्ररूप ओटीएस—3क में उत्तर प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर पारित किया जाएगा।
- (घ) जहां आवेदक उक्त नोटिस पर प्ररूप ओटीएस—3क में प्रस्तुत उत्तर के माध्यम से नोटिस की शर्तों का पालन करने तथा कमी/विसंगति को दूर करने में विफल रहता है, वहां आवेदन को लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा प्ररूप ओटीएस—3क के रूप में उत्तर प्राप्त होने से पन्द्रह दिन के भीतर प्ररूप ओटीएस—5 के रूप में आदेश पारित किया जाएगा।

- (ङ) ऐसा आवेदक, जो स्कीम का विकल्प चुनने में रुचि रखता है, वह सुसंगत अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकारी, हिरयाणा कर न्यायाधिकरण, पंजाब तथा हिरयाणा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपील या आवेदन से संबंधित कोई अन्य मामला, यदि कोई हो, पूरी तरह से और बिना शर्त वापस ले लेगा तथा प्ररूप ओटीएस—4क की प्राप्ति से साठ दिन के भीतर आधिकारिक प्राधिकारी को प्ररूप ओटीएस—6 में अपील वापस लेने का सबूत प्रस्तुत करेगा। वापसी का आदेश इस संबंध में निर्णायक सबूत होगा।
- (च) यदि प्ररूप ओटीएस—4क की प्राप्ति से साठ दिन के भीतर प्ररूप ओटीएस—6 प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि आवेदन कभी किया ही नहीं गया था। प्ररूप ओटीएस—5 में व्यवस्थापन की अस्वीकृति का आदेश पारित किया जाएगा और आवेदक के विरूद्ध लागू सुसंगत अधिनियम के अधीन लंबित कार्यवाही जारी रहेगी।
- (छ) उन आवेदकों के लिए, जिन्होंने इस स्कीम का विकल्प चुना है, सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी भी अपीलीय प्राधिकरण, हरियाणा कर न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित किसी भी कार्यवाही को इस स्कीम के अधीन प्ररूप ओटीएस—4क में व्यवस्थापन का अनंतिम आदेश पारित होने तक स्थगित रखा जाएगा।
- (ज) यदि आवेदक ने तथ्यों को छिपाकर या गलत जानकारी देकर, सुसंगत अधिनियम, जिसके लिए आवेदन किया गया है, के अधीन किसी भी वर्ष के लिए निर्धारित बकाया देयों को छिपाकर सूचना प्रस्तुत की है, जमा की गई राशि का भुगतान नहीं किया गया है या उसका पुनः उपयोग किया गया है, तो प्ररूप ओटीएस—4 में व्यवस्थापन आदेश या प्ररूप ओटीएस—4क में अनंतिम व्यवस्थापन आदेश को रद्द कर दिया जाएगा और आधिकारिक प्राधिकारी द्वारा प्ररूप ओटीएस—5 में अस्वीकृति आदेश पारित किया जाएगा।
- (झ) जहां प्ररूप ओटीएस—5 में व्यवस्थापन की अस्वीकृति का आदेश जारी किया जाता है, आवेदक द्वारा इस स्कीम के अधीन भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, सुसंगत अधिनियम के अधीन उसकी देयताओं के लिए समायोजित की जाएगी और ऐसी राशि किसी भी मामले में वापस नहीं की जाएगी।
- (ञ) स्कीम के अधीन सभी आवेदन इलेक्ट्रोनिक रूप से संसाधित किए जाएंगे।

विद्यमान विधि के अधीन निर्धारित बकाया देयों की वसूली के लिए हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 142क के अधीन उपबन्ध।

- 9. (1) ऐसे आवेदक भी स्कीम का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे, जिनके निर्धारित बकाया देयों को आधिकारिक प्राधिकारी द्वारा हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) के अधीन ऐसे देयों की वसूली के लिए हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटी डीआरसी–07क में अपलोड किया गया है।
- (2) आधिकारिक प्राधिकारी, प्ररूप ओटीएस—4 के सफलतापूर्वक जारी होने के बाद, प्ररूप जीएसटी डीआरसी—07क के माध्यम से सृजित मांग को संशोधित करेगा और हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 का प्ररूप जीएसटी डीआरसी—08क जारी करेगा।

व्यवस्थापन के अंतिम आदेश से निकलने वाले विशेषाधिकार।

- 10. (1) स्कीम के अधीन भुगतानयोग्य राशि के संबंध में पारित व्यवस्थापन का अंतिम आदेश, इसमें कथित मामले और समयावधि के संबंध में निर्णायक होगा और आवेदक,—
 - (क) व्यवस्थापन के अंतिम आदेश में सिम्मिलित मामले और समयाविध के संबंध में कोई अतिरिक्त कर, ब्याज या शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी नहीं होगा;
 - (ख) आदेश में सम्मिलित मामले और समयावधि के संबंध में सुसंगत अधिनियम के अधीन अभियोजित किए जाने का दायी नहीं होगा।
- (2) ऐसे आदेश में सिम्मिलित सभी मामले और समयावधि को सुसंगत अधिनियम के अधीन किन्हीं अन्य कार्यवाहियों पर नए सिरे से विचार नहीं किया जाएगाः

परन्तु यदि जहां आवेदन में दिए गए कोई तात्विक विवरण, व्यवस्थापन के आदेश के बाद मिथ्या पाया जाता है, तो यह माना जाएगा कि आवेदन कभी नहीं किया गया था और लागू सुसंगत अधिनियम के अधीन आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की जाएगी।

	कर, ब्याज या
11. नियत तिथि से पहले भुगतान / जमा किया गया कोई भी कर, ब्याज या शास्ति या कोई अन्य राशि वापस नहीं की जाएगी और स्कीम के अधीन व्यवस्थापन राशि से समायोजित नहीं की जाएगी।	कर, ब्याज या शास्ति के रूप में नियत दिन से पूर्व भुगतान की गई राशि का अप्रतिदाय।
12. इस स्कीम के अधीन भुगतानयोग्य किसी भी राशि का भुगतान न तो इनपुट कर के माध्यम से किया जाएगा और न ही इस राशि का सुसंगत अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी भी व्यक्ति द्वारा इनपुट कर के रूप में दावा करने की अनुमित दी जाएगी।	व्यवस्थापन के संबंध में निर्बन्धन।
13. आधिकारिक प्राधिकारी, जिसने इस स्कीम के अंतर्गत व्यवस्थापन आदेश पारित किया है, ऐसे आदेश में अभिलेख के आधार पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली किसी भी त्रुटि को सुधारने के लिए, ऐसे आदेश के जारी होने की तिथि से पैंतालीस दिन की अविध के भीतर, स्वप्रेरणा से या इस संबंध में उसे किए गए आवेदन पर, ऐसे आदेश में सुधार कर सकता है।	त्रुटियों का सुधार।
14. यदि इस स्कीम के किन्हीं उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में कोई किठनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस स्कीम के उपबन्धों से अनअसंगत प्ररूपों में संशोधन सिहत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो उक्त किठनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हों।	किटनाई दूर करना।
15. इस स्कीम से उत्पन्न किसी संदेह के मामले में, उस पर आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा का निर्णय अंतिम होगा।	संदेह दूर करना।
16. निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक किसी सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी विशेष वर्ष के लिए स्कीम के अधीन लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे, जहाँ,—	स्कीम का चुनाव करने के लिए
(क) सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी विशेष वर्ष के लिए त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय से संबंधित मांग है;	अपात्र आवेदक।
(ख) जहां किसी मामले में किसी सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी विशेष वर्ष के लिए दाण्डिक कार्यवाही शुरू की गई है, तो आवेदन केवल उस सुसंगत अधिनियम के अधीन उस विशेष वर्ष के लिए व्यवस्थापन का लाभ उठाने के लिए स्कीम के अधीन उपयुक्त नहीं होगा;	
(ग) जिस आवेदक ने बकाया देयों के व्यवस्थापन के लिए हरियाणा एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम, 2023 के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था और वो आवेदन नियत दिन से एक दिन पहले अर्थात् निर्धारित बकाया देयों के अवधारण के दिन तक अस्वीकार नहीं किया गया है।	
17. स्कीम के अधीन आधिकारिक प्राधिकारी द्वारा पारित व्यवस्थापन या अस्वीकृति के अंतिम आदेश के विरुद्ध सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी अपीलीय प्राधिकारी, हरियाणा कर न्यायाधिकरण, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कोई अपील नहीं की जाएगी।	व्यवस्थापन के अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होना।
18. (1) सरकार या तो स्वप्रेरणा से या हितधारकों के प्रतिवेदन पर, इस स्कीम के अधीन आवेदन करने के लिए समयाविध में विस्तार कर सकती है।	समयावधि में विस्तार।
(2) संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (रेंज) मामले दर मामले के आधार पर आधिकारिक प्राधिकारी द्वारा इस स्कीम के अधीन जारी किए जाने वाले किसी नोटिस या आदेश को जारी करने या उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा उचित अधिकारिता वार्ड के आबंटन के लिए समयाविध को लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से अधिकतम तीस दिन की अविध के लिए बढ़ा सकते हैं।	
19. (1) इस स्कीम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए सरकार या सरकार के किसी कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी।	क्षतिपूर्ति ।
(2) किसी कर्मचारी / अधिकारी के विरूद्ध केवल आवेदक द्वारा भुगतानयोग्य निर्धारित बकाया देयों की राशि की गणना में बाद में त्रुटि का पता चलने के आधार पर तब तक कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी जब तक कदाचार का सबूत न हो।	

अनुसूची—I

[देखिए खण्ड 3(2)]

क्रम संख्या	अधिनियम का नाम	किसी सुसंगत अधिनियम के अधीन कुल निर्धारित बकाया देय के स्लैब का निर्धारण							
		निर्धारण वर्ष	कुल निर्घारित बकाया राशि	खाना (घ) से देय कर राशि	खाना(घ) से देय ब्याज राशि	खाना(घ) से देय शास्ति की राशि			
(क)	(ख)	(ग)	(ঘ)	(ভ)	(च)	(छ)			
1.	केवल एक सुसंगत अधिनियम	उदाहरण के लिए 2017—18 (30.06.2017 तक) 2016—17 2015—16 आगे (सभी वर्षों के निर्धारित बकाया देय राशि को शामिल किया जाना चाहिए) राशियों का कुल योग							

टिप्पण:- प्रत्येक सुसंगत अधिनियम के लिए छूट की गणना अलग से की जाएगी।

अनुसूची—ाक

[देखिए खण्ड 6(1)]

निर्धारित बकाया देय राशि के बदले व्यवस्थापन राशि का निर्धारण

क्रम	अनुसूची—ाके खाना	स्कीम के	स्कीम के अंतर्गत	खाना (4) के	अनुसूची—। के	अनुसूची—ाके
संख्या	(ङ) कें कुल योग के	खण्ड 6(3) के	व्यवस्थापन के	अनुसार कर	खाना (च) के	खाना (छ) के
	अनुसार कुल निर्धारित	अनुसार छूट	लिए देय कर	बकाया की	अनुसार ब्याज	अनुसार शास्ति
	बकाया कर का स्लैब		खाना (2)	व्यवस्थापन	की व्यवस्थापन	की व्यवस्थापन
	(रूपए में)		–खाना (3)	राशि	राशि	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	दस लाख रूपए तक	एक लाख		40 %	0 %	0 %
		रूपए				
2.	दस लाख रूपए से	0		50 %	0 %	0 %
	अधिक दस करोड़					
	रूपए तक					
3.	दस करोड़ रूपए से	0		100 %	0 %	0 %
	अधिक					

अनुसूची—II

[देखिए खण्ड 6(5)]

किस्तों में भुगतान का विकल्प

क्रम संख्या	स्कीम के अधीन व्यवस्थापन राशि	आवेदन के समय भुगतान की जाने वाली राशि	दूसरी किस्त (व्यवस्थापन के अनंतिम आदेश की तिथि से 60 दिन के भीतर)
1	2	3	4
1.	दस लाख रूपए तक	प्ररूप ओटीएस—1 के साथ भुगतान की जाने वाली पूर्ण तथा अंतिम व्यवस्थापन राशि।	शून्य
2.	दस लाख रूपए से अधिक	प्ररूप ओटीएस–1 के साथ व्यवस्थापन राशि का 50 प्रतिशत।	प्ररूप ओटीएस—1क में सूचना के साथ व्यवस्थापन राशि का शेष 50 प्रतिशत।

देविन्द्र सिंह कल्याण, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

प्ररूप ओटीएस-1

क्रम	संख्या	विवरण	
1	(ক)	आवेदक का नाम (कृपया आवेदक की परिभाषा देखें)	<<अनिवार्य>>
	(ख)	सुसंगत अधिनियम के अधीन पंजीकरण संख्या (यदि पंजीकृत है) (यदि पंजीकृत नहीं है तो कृपया अपंजीकृत का उल्लेख करें)	<<अनिवार्य>>
	(ग)	स्थायी खाता संख्या	<<अनिवार्य क्षेत्र>>
	(ঘ)	मोबाइल	<<अनिवार्य >>
	(ভ)	ई-मेल आईडी	<<अनिवार्य >>
	(च)	एससीओ/बूथ/दुकान/बिल्डिंग/फ्लैट/फ्लोर संख्या	<<अनिवार्य >>
	(छ)	सेक्टर/क्षेत्र	<<अनिवार्य >>
	(ज)	शहर/ कस्बा /गाँव	<<अनिवार्य>>
	(झ)	जिला	<<ड्रॉप डाउन>><<अनिवार्य>>
	(স)	पिन कोड	<<अनिवार्य>>
	(ਟ)	राज्य	हरियाणा
	(ਫ)	आधिकारिक जिला	<<ड्रॉप डाउन>>
	(ভ.)	आधिकारिक वार्ड	<<ड्रॉप डाउन>>
2	(ক)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम **	<<अनिवार्य>>
	(ख)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की ई-मेल आईडी	<<अनिवार्य>>
	(ग)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल संख्या	<<अनिवार्य>>
	(ঘ)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का कोई भी आईडी प्रमाण (पैन/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आईडी कार्ड/पासपोर्ट/पीपीपी या सरकार द्वारा जारी कोई अन्य आईडी कार्ड)	<<अनिवार्य>><<अपलोड ऑप्शन>> + कमेंट बॉक्स
3	सुसंगत अधिनियम का नाम और अवधियों जिसके लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। (स्कीम का खण्ड 4 देखें)		सुसंगत अधिनियम <<ड्रॉप डाउन>> निर्धारण वर्ष<<ड्रॉप डाउन>> (केवल एक ही सुसंगत अधिनियम और एकाधिक निर्धारण वर्ष चुने जा सकते हैं)
4	क्या ब	काया देय 'निर्धारित या गैर—निर्धारित'	निर्धारित गैर—निर्धारित <यदि गैर—निर्धारित चुना है, तो ओटीएस —1, जनित नहीं होगा>>

6	प्राधिकार उच्च न्य लंबित है	,हरियाणा क ।यालय या स ?	र न्यायाधिक र्वोच्च न्याया यम के अध	अधीन किसी अ जरण, पजांब तथा ह लय के समक्ष कोई गैन किसी भी का	रियाणा मामला	3 3 \$\frac{1}{2}\$	हाँ पिदि हां चुना नम्निलिखित टेप्पणी बॉग् जानेचाहिए: . केस संख्या . प्राधिकरण के लंबित . अपील / मुकदः दायर करने वं <<अनिवार्य क्षेत्रः हाँ जहीं चार्य कर्या	एकाधिक क्स खुल समक्ष मा संख्या जे तिथि >>			
7	क्या मांग संबंधित	ा सुसंगत अ है ?	धिनियम के	अधीन गलत प्रतिव	शय से	₹ ₹ -	डाउन>>आवेदक वेतीय वर्ष का सकता है। हाँ सही स्व	चुनाव कर			
8	क्या हरि व्यवस्थाप	याणा बकाया न स्कीम, 20	ं देयों की 123 में आवे	वसूली करने हेतु ए दन किया है और उ	रकमुश्त आवेदन	रू f र	ार्ष>><<ड्रॉप डाउन>>आवेदक वेतीय वर्ष का सकता है। हाँ □ नही □				
	व्यवस्थापन स्कीम, 2023 में आवेदन किया है और आवेदन सुसंगत अधिनियम के अधीन अस्वीकृत नहीं किया गया है ?						<यिद हां चयि वर्ष का ड्रॉप ओटीएस-1 संद तेथि के लि कमेंट बॉक्स आवेदक एकाधिव चुन सकता है।> के निर्धारण की	डाउन और र्म संख्या व ए एकाधिक खुलेगा। क वितीय वर्ष			
9	कुम संख्या	अधिनियम अधिनियम का नाम	निर्धारण वर्ष	त्या—१ क अनुसार । आदेश संख्या जिसके द्वारा बकाया देय निर्धारित किये गये <<अनिवार्य>>	आदेश व <<अनिव	नी तिथि	कुल निर्धारित बकाया देय	कर की निर्धारित बकाया राशि खाना (च) में से	ब्याज की बकाया राशि खाना (च) में से		शास्ति की बकाया राशि खाना(च) में से
	(ক)	(ख)	(ग)	(ঘ)	(હ	E)	(च)	(छ)	(ज)		(झ)
	1	केवल एक सुसंगत अधिनियम << ड्रॉप डाउन>>	एकाधिक वर्ष<< ड्रॉप डाउन> >								
										+	
		कुल जोड़	7 24 6 -	}	<u> </u>	``	<u> </u>			\perp	
	ाटप्पणः−	ક્રમ સહ્યા 6,	, / આર 8 -	में उल्लेखित वर्शों के	। इस तालि	१का म श	॥मल नहा किय	जाएगा।		_	

10	अनुसूची-Iक के अनुसार निर्धारित बकाया देयों के लिए व्यवस्थापन राशि का निर्धारण।							-	
	क्रम संख्या	क्रम संख्या 9 के खाना (छ) के अनुसार कुल निर्धारित बकाया देय कर की स्लैब	स्कीम के खण्ड 6(3) के अनुसार छूट	स्कीम के अधीन बकाया देय कर (खाना (2)—(3))	बकाया व की व्यव राशि जै खाना (4	देय कर स्थापन सा कि	क्रम संख्या 9 के खाना (ज) में कुल ब्याज की व्यवस्थापन राशि	क्रम संख्या 9 के खाना (झ) में कुल जुर्माना की व्यवस्थापन राशि	कुल व्यवस्थापन राशि (खाना संख्या 5+6+7)
	(1)	(2)	(3)	(4)		5)	(6)	(7)	(8)
	1	10 लाख रूपये तक	रूपये 1 लाख	<< ऑटो पॉपुलेटेड>>	40 प्रतिः ऑटो पॉपुलेटेड	5>>	0 प्रतिशत<< ऑटो पॉपुलेटेड>>	0 प्रतिशत<< ऑटो पॉपुलेटेड>>	<< ऑटो पॉपुलेटेड>>
	2	10 लाख रूपये से अधिक 10 करोड़ रूपये तक	0	<< ऑटो पॉपुलेटेड>>	50 प्रतिः ऑटो पॉपुलेटेड		0 प्रतिशत<< ऑटो पॉपुलेटेड>>	0 प्रतिशत << ऑटो पॉपुलेटेड>>	<< ऑटो पॉपुलेटेड>>
	3	10 करोड़ रूपये से अधिक	0	<< ऑटो पॉपुलेटेड>>	100 प्रति ऑटो पॉपुलेटेड	ाशत << 5>>	0 प्रतिशत << ऑटो पॉपुलेटेड>>	0 प्रतिशत<< ऑटो पॉपुलेटेड>>	<< ऑटो पॉपुलेटेड>>
	4			योग	Т				
11		ने अनुसार कुल व्यवस्थ				ऑटो पॉ कुल आं	पुलेटेड, 10(8) के कडे	2	
12	10(8) के अनुसार देय के व्यवस्थापन का प्रवर्ग 10 लाख तक 10 लाख से अधिक << ऑटो पॉपुलेटेड>>								
13	क्या कि	स्त सुविधा का विकल्प	चुना गया है?						
14	किस्त अ	ा नुसूची					<u>, </u>		
	क्रम	कुल प्रथम व्यवस्थापन किस्त राशि की राशि (ओटीएस –1 के साथ)	प्रथम किस्त की तिथि	दूसरी किस्त की राशि	दूसरी वि	फस्त की f	तेथि		
	(1)	(2) (3)	(4)	(5)			(6)		
	1								
15	किए गए क्रम संख	र भुगतान का विवरण— झ्या जीआर जीआ एन की क्रम संख्या	रएन की तिथि	सीआईएन व संख्या		सीआ	ईएन की तिथि	राशि (रुपये में)	
	(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	
		मैं सहमत हूं कि ऊपर				कुल			
	ली गई है और पहले कहीं भी इसका उपयोग नहीं किया गया है।								

16	अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज	 स्थाई खाता संख्या निर्धारण आदेश जिसके द्वारा देय निर्धारित किया गया था लंबित अपीलों का प्रमाण, यदि कोई हो भुगतान का प्रमाण
		5. कोई अन्य दस्तावेज
17	घोषणा मैं यहां घोषणा करता हूं कि स्कीम के अधीन आवेदन पत्र और जानकारी, मेरी सर्वोत्तम जानकारी और रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री/दस्तावेजों कोई भी भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। बकाया देय की वसूली के लिए हरियाणा एकबारगी व्यवस्थापन स्व को पूरी तरह से समझने के बाद चुना गया है। आगे यह भी घोषित किया जाता है कि इस सुसंगत अधिनियम व बकाया देय है, उन्हें छुपाया नहीं गया है। यदि किसी भी वर्ष में इस निर्धारित बकाया राशि भविष्य में छिपाई गई पाई जाती है, तो मेरा आ व्यवस्थापन या अनंतिम व्यवस्थापन का आदेश, यदि पारित कर दिया गया है में यह भी पुष्टि करता हूँ कि मैं, यथा लागू व्यवस्थापन राशि का कि किसी भी लंबित राशि का भुगतान करने में विफलता के मामले में, स्की को सुसंगत अधिनियम के अधीन मेरी देयताओं के विरूद्ध समायोजित प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।	के अनुसार सत्य और सही है। इसका कीम, 2025 को इसके नियमों और शर्तों के अधीन जिन भी वर्षों में मेरा निर्धारित सुसंगत अधिनियम के अधीन मेरे पास वेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा, या है, रद्द कर दिया जाएगा। भुगतान करूंगा। मैं आगे पुष्टि करता हूँ म के अधीन किए गए किसी भी भुगतान
	स्थान: << स्व – जनित>>(संपादन योग्य) तिथि: <<स्व – जनित>>	(आवेदक का नाम)
	टिप्पण:– सभी राशियां रुपए में भुगतान की जाएं।	

**

**	
कारबार की रचना	वह व्यक्तिजिसे ओटीएस दायर करने हेतु प्राधिकृत
	किया जा सकता है
स्वामित्व	स्वामी
साझेदारी	प्रबंध/प्राधिकृत भागीदार
हिंदू अविभाजित परिवार	कर्ता
प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक
पब्लिक लिमिटेड कम्पनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक
सोसायटी/क्लब/ट्रस्ट/एओपी	प्रबंध समिति के सदस्य
सरकारी विभाग	प्रभारी व्यक्ति
सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक
असीमित कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक
सीमित देयता भागीदारी	पदाभिहित भागीदार
स्थानीय प्राधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समकक्ष
सांविधिक निकाय	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समकक्ष
विदेशी कंपनी	भारत में अधिकृत व्यक्ति
विदेशी सीमित देयता भागीदारी	भारत में अधिकृत व्यक्ति
अन्य (निर्दिष्ट करें)	प्रभारी व्यक्ति

प्ररूप ओटीएस—1क

[देखिए अनुसूची—11]

हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकबारगी व्यवस्थापन स्कीम, 2025 के अधीन दूसरी किस्त की सूचना <<सिस्टम द्वारा जनित विशिष्ट संख्या और तिथि>>

1								
क्रम	संख्या	विवरण						
1	(ক)	आवेदक का नाम				<< ऑटो प	गॅपुलेटेड >>	
	(ख)	_	म के अधीन पंजीव	करण संख्या		<< ऑटो प	गॅपुलेटेड>>	
		(यदि पंजीकृत है						
		(यदि पंजीकृत न	हीं है तो कृपया '	अपंजीकृत'उल्लेख	व करें)			
	(ग)	ओटीएस–1 की	सिस्टम जनित वि	शिष्ट संख्या औ	र तिथि	इनपुट बॉक	स<<स्वचालित>>	
	(ঘ)	ओटीएस—4क र्क	ो सिस्टम जनित	विशिष्ट संख्या ३	गौर तिथि	<< ऑटो प	गॅ पुलेटेड>>	
	(ভ)	आधिकारिक जि	ना			<< ऑटो प	गॅपुलेटेड> >	
	(च)	आधिकारिक वार्ड				<< ऑटो प	गॅ पुलेटेड>>	
2	(ক)	प्राधिकृत हस्ताक्ष	रकर्ता का नाम			<< ऑटो प	गॉपुलेटेड >>	
	(ख)	प्राधिकृत हस्ताक्ष	रकर्ता की ई-मेल	आईडी		<< ऑटो प	गॅपुलेटेड >>	
	(ग)	प्राधिकृत हस्ताक्ष	रकर्ता का मोबाइल	ा संख्या		<< ऑटो प	पॉपुलेटेड>>	
3	सुसंगत	अधिनियम का ना	Ħ			सुसंगत अ	धेनियम<< ऑटो पॉपुलेटेड>>	
4	प्ररूप अ	ोटीएस—1 की क्रम	संख्या ११ के अ	नुसार कुल व्यवर	स्थापन राशि	<< ऑटो प	गॅपुलेटेड >>	
5	प्ररूप अ	गोटीएस–4क के अ	नुसार कुल व्यवस्थ	ग्रापन राशि				
6	किस्त ३	भनुसूची<<प्ररूप अ	टीएस–4क से ऑ	ांटो पॉपुलेटेड>>				
	क्रम संख्या	कुल व्यवस्थापन राशि	ओटीएस—1 के साथ भुगतान की गई प्रथम किस्त की राशि	प्रथम किस्त की तिथि	दूसरी किस्त	त की राशि	दूसरी किस्त की तिथि	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5	i)	(6)	
	1							
7	उपरोक्त	। 1 6(5) के अनुसार	भुगतान की जाने	वाली किस्त की	राशि		•	
8	किए ग	र भुगतान का विव	रण					
	क्रम संख्या	जीआरएन जीः की क्रम संख्या	आरएन की तिथि	सीआईएन की क्रम संख्या		सीआईएन तिथि	की राशि (रुपये में)	
	(1)	(2)	(3)	(4))	(5)	(6)	
	1							
	2							

	🔲 मैं सहमत हूं कि ऊपर दिए गए जीआरएन विवरण की जांच कर	कुल	
	ली गई है और पहले कहीं भी इसका उपयोग नहीं किया गया है।		
9	अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज	1. भुगतान का प्रमाण	
		2. कोई अन्य दस्तावेज	
10	घोषणाः		
	मैं घोषणा करता हूँ कि ऊपर कथित सूचना और घोषणाएं		
	और सही हैं और कि इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। हरियाणा		
	व्यवस्थापन स्कीम, 2025 को इसके नियमों और शर्तों को पूर्ण रूप से सम	3	
	मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि मैं, यथा लागू व्यवस्थापन राशि का		
	मेरे द्वारा स्कीम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है तो,		
	को सुसंगत अधिनियम के अधीन मेरी देयताओं के विरूद्ध समायोजित रि	कैया जाएगा और किसी भी दशा में प्रतिदाय	
	नहीं किया जाएगा।		
		(आवेदक का नाम)	
	स्थानः		
	<<स्व – जनित>>(संपादन योग्य)		
	तिथि: <<स्व – जनित>>		
	टिप्पण:—सभी राशियाँ रुपए में भुगतान की जाएं।		

प्रक्रप ओटीएस—2 [देखिए खण्ड ७ (४)] ओटीएस—1 में आवेदन की पावती इसके द्वारा, हिरयाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकबारगी व्यवस्थापन स्कीम, २०२५ के अधीन (सुसंगत अधिनियम का नाम) से सम्बन्धित निर्धारित बकाया देयों के व्यवस्थापन हेतु प्ररूप ओटीएस—1 में आपका आवेदन, संदर्भ संख्या ______ तिथि______ स्वीकार किया जाता है। अाबकारी तथा कराधान विभाग हिरयाणा सरकार। "यह एक सिस्टम जिनत पावती है और इसमें किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है"

प्ररूप ओटीएस-3 [देखिए खण्ड 8]

विसंगतियो का नोटिस

सेवा में

आवेदक का नाम << ऑटो पॉपुलेटेड>> आवेदक का पता << ऑटो पॉपुलेटेड>>

टिन/आरसी नंबर (यदि लागू हो) << ऑटो पॉपुलेटेड>>

ओटीएस-3 संदर्भ संख्या <<सिस्टम जनित>>**तिथि** <<सिस्टम जनित>>

विषय:- विसंगतियों का नोटिस।

पंदर्भ:- प्ररूप ओटीएस-1 संदर्भ संख्या <<ऑटो पॉपुलेटेड>> तिथि <<ऑटो पॉपुलेटेड>>

चूंकि, आपने हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकबारगी व्यवस्थापन स्कीम, 2025 के अधीन आवेदन किया है। आपके आवेदन के प्ररूप ओटीएस–1 की जांच करने पर, निम्नलिखित अपूर्णताएं / किमयां पाई गई हैं:

(i)

(ii)

(iii)

<<अपलोड विकल्प>>

इस सूचना पर आपका उत्तर इस सूचना की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर भुगतान के प्रमाण (यदि कोई हो) सिहत प्ररूप ओटीएस—3क में अधोहस्ताक्षरी तक पहुंच जाना चािहए। इस सूचना की शर्तों का पालन करने में विफलता की दशा में, आपका आवेदन आगे कोई सूचना दिए बिना खारिज कर दिया जाएगा और स्कीम के अधीन किया गया भुगतान सुसंगत अधिनियम के अधीन आपकी देयताओं के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा और किसी भी दशा में प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।

आबकारी तथा कराधान अधिकारी

जिला_		
वार्ड		

प्ररूप ओटीएस-उक

[देखिए खण्ड 8]

विसंगतियों के नोटिस का उत्तर

सेवा मे,

आबकारी तथा कराधान अधिकारी,

जिला <<ऑटो पॉपुलेटेड>> वार्ड<<ऑटो पॉपुलेटेड>>

आवेदक का नाम <<ऑटो पॉपुलेटेड>>

आवेदक का पता <<ऑटो पॉपूलेटेड>>

टिन/आर सी नंबर(यदि लागू हो)<<ऑटो पॉपुलेटेड>>

विषय: - प्ररूप ओटीएस-3 में विसंगतियों के नोटिस का उत्तर।

संदर्भ: - प्ररूप ओटीएस-3 संदर्भ संख्या<<ऑटो पॉप्लेटेड>> तिथि<<ऑटो पॉप्लेटेड>>

यह प्ररूप ओटीएस-3 में आपके कार्यालय से जारी विसंगतियों का नोटिस संख्या <<ऑटो पॉपुलेटेड>> तिथि<<ऑटो पॉपुलेटेड>>के संदर्भ में है। बताई गई विसंगतियों / किमयों का बिन्दुवार उत्तर इस प्रकार है:

(क)

(ख)

(ग)

	ओटीएस—3क के साथ किए गए भुगतान का विवरण							
क्रम संख्या	जीआरएन की क्रम संख्या	जीआरएन की तिथि	सीआईएन की क्रम संख्या	सीआईएन की तिथि	राशि (रुपये में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
1								
	जोड़							
	अपलोड	किए जाने वाले दस्त	 भुगतान का प्रमाण कोई अन्य दस्तावे 					

(आवेदक का नाम)

स्थान:
<< स्व – जनित>>(संपादनयोग्य)
तिथि: <<स्य – जनित>>

टिप्पण:- सभी राशियां रूपए में भुगतान की जाएं।

प्ररूप ओटीएस-4क

[देखिए खण्ड 6, 7 और 8]

अनंतिम व्यवस्थापन का आदेश

सेवा मे,

आवेदक का नाम<< ऑटो पॉपुलेटेड>> आवेदक का पता<< ऑटो पॉपुलेटेड>>

टिन/आर सी नंबर(यदि लागू हो)<< ऑटो पॉपुलेटेड>> आदेश संख्या<<सिस्टम जनित>> तिथ<<सिस्टम जनित>>

विषय: - व्यवस्थापन का अनंतिम आदेश।

संदर्भ: - प्ररूप ओटीएस-1 संदर्भ संख्या<<ऑटो पॉपुलेटेड>>तिथि<<ऑटो पॉपुलेटेड>>

चूंकि, आपने हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकबारगी व्यवस्थापन स्कीम, 2025 का विकल्प चुना है। जांच करने पर, आपका आवेदन सही पाया गया है। तद्नुसार, अनंतिम व्यवस्थापन का आदेश निम्नानुसार पारित किया जाता है:

सुसंगत अधिनियम का नाम<<ऑटो पॉपुलेटेड/ संपादन योग्य>>

निर्धारण वर्ष<<ऑटो पॉपुलेटेड/संपादन योग्य>>

तालिका–I

	सुसगत अधिनियम के अधीन अनुसूची—1 के अनुसार निधीरित बकाया देय के निर्धारण की स्लैब							
	<<प्ररूप ओर्ट	रीएस—1 की	क्रम संख्या 9 के	अनुसार देयों व	_{गी ऑटो} पॉपु	लेटेड और संप	गदन योग्य ता	लिका >>
क्रम संख्या	अधिनियम का नाम	निर्धारण वर्ष	आदेश संख्या जिसके द्वारा बकाया देय निर्धारित किये गये <<अनिवार्य>>	आदेश की तिथि <<अनिवार्य >>	कुल निर्धारित बकाया देय	कर की बकाया राशि खाना (च) में से	ब्याज की बकाया राशि खाना (च) में से	शास्ति की बकाया राशि खाना (च) में से
(ক)	(ख)	(ग)	(ঘ)	(ভ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)
1	केवल एक	एकाधिक वर्ष<<						

सुसंगत अधिनियम << ड्रॉप डाउन>>	ड्रॉप डाउन> >			
कुल जोड़				

टिप्पण:-क्रम संख्या ६, ७ और ८ में उल्लेखित वर्षों को इस तालिका में शामिल नहीं किया जाएगा।

तालिका-II

अनुसूची-Iक के अनुसार निर्धारित बकाया देयों के लिए व्यवस्थापन राशि का निर्धारण। <<प्ररूप ओटीएस—1 की क्रम संख्या 10 के अनुसार देयों की ऑटो पॉपुलेटेड और संपादन योग्य तालिका>>

क्रम संख्या	क्रम संख्या 9 के खाना (छ) के अनुसार कुल निर्धारित बकाया देय कर की स्लैब	स्कीम के खण्ड 6(3) के अनुसार छूट	स्कीम के अधीन बकाया देय कर (खाना (2)–(3))	बकाया देय कर की व्यवस्थापन राशि जैसा कि खाना (4) में	क्रम संख्या 9 के खाना (ज) कुल ब्याज की व्यवस्थापन राशि	क्रम संख्या 9 के खाना (झ) कुल शास्ति की व्यवस्थापन राशि	कुल व्यवस्था पन राशि (खाना संख्या5 + 6+7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	10 लाख रूपये तक	1 लाख रूपये	<<ऑटो पॉपुलेटेड>>	40 प्रतिशत<< ऑटो पॉपुलेटेड>>	0 प्रतिशत<< ऑटो पॉपुलेटेड>>	0 प्रतिशत<<ऑटो पॉपुलेटेड>>	<<ऑटो पॉपुलेटेड >>
2	10 लाख रूपये से अधिक 10 करोड़ रूपये तक	0	<< ऑटो पॉपुलेटेड>>	50 प्रतिशत << ऑटो पॉपुलेटेड>>	0 प्रतिशत << ऑटो पॉपुलेटेड>>	0 प्रतिशत << ऑटो पॉपुलेटेड>>	<< ऑटो पॉपुलेटेड >>
3	10 करोड़ रूपये से अधिक	0	<< ऑटो पॉपुलेटेड>>	100 प्रतिशत << ऑटो पॉपुलेटेड>>	0 प्रतिशत << ऑटो पॉपुलेटेड>>	0 प्रतिशत << ऑटो पॉपुलेटेड>>	<< ऑटो पॉपुलेटेड >>
4				योग			

तालिका -III

	किस्त अनुसूची<<ऑटो पॉपुलेटेड लेकिन संपादन योग्य>>						
	क्रम संख्या	कुल व्यवस्थापन राशि	ओटीएस—1 के साथ भुगतान की गई प्रथम किस्त की राशि	प्रथम किस्त की तिथि	दूसरी किस्त की राशि	दूसरी किस्त की तिथि	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Ī	(i)						

	तालिका-IV						
क्रम संख्या	विवरण	राशि (रूपए)					
i.	तालिका-II के अनुसार भुगतानयोग्य व्यवस्थापन राशि						
ii.	कमी: आवेदक द्वारा भुगतान की गई राशि						
iii.	शेष (1-2)						

यह एक अनंतिम आदेश है तथा पूर्ण भुगतान करने और प्ररूप ओटीएस–6 में लंबित अपीलों को वापस लेने का प्रमाण प्रस्तुत करने, यदि लागू हो, के पश्चात् प्ररूप ओटीएस–4 में व्यवस्थापन का अंतिम आदेश पारित किया जाएगा।

आबकारी	तथा	कराधान	अधि	कारी
जिला_				
वार्ड				1

प्ररूप ओटीएस-4

[देखिए खण्ड 6 और 8]

व्यवस्थापन का अंतिम आदेश

सेवा मे.

आवेदक का नाम<<ऑटो पॉपुलेटेड>> आवेदक का पता<<ऑटो पॉपुलेटेड>>

टिन/आर सी नंबर (यदि लागू हो)<<ऑटो पॉपुलेटेड>>

आदेश संख्या<<सिस्टम जनित>> तिथि<<सिस्टम जनित>>

विषय: - व्यवस्थापन का अंतिम आदेश।

संदर्भ: - प्ररूप ओटीएस-1 संदर्भ संख्या<<ऑटो पॉपुलेटेड>> तिथि<<ऑटो पॉपुलेटेड>>

चूंकि, आपने हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकबारगी व्यवस्थापन स्कीम, 2025 का विकल्प चुना है। आपके आवेदन की विस्तार से जांच की गई है, तद्नुसार व्यवस्थापन का अंतिम आदेश निम्नानुसार पारित किया गया है:

मुसंगत अधिनियम का नाम<<ऑटो पॉपुलेटेड>>**निर्धारण वर्ष**<<ऑटो पॉपुलेटेड/ संपादन योग्य>>

तालिका -I

क्रम संख्या	विवरण	राशि(रूपए)
1.	प्ररूप ओटीएस—1/ ओटीएस—4क के अनुसार भुगतान योग्य व्यवस्थापन राशि	
2.	कमी: -	
	क. आवेदक द्वारा प्ररूप ओटीएस—1 में भुगतान की गई राशि (प्रथम किस्त)	
	ख. आवेदक द्वारा प्ररूप ओटीएस–1 (क) में भुगतान की गई राशि की सूचना (दूसरी किस्त)	
3.	शेष (1-2)	<<यह शून्य होना चाहिए>>

सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी भी अपीलीय प्राधिकारी, हरियाणा कर न्यायाधिकरण, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपील, यदि कोई हो, वापस ले ली गई है और ऐसी अपील वापस लेने का प्रमाण प्ररूप ओटीएस—6 में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी क्रम संख्या <<ऑटो पॉपुलेटेड>>तिथ<<ऑटो पॉपुलेटेड>> अंकित है।

आपके आवेदन, किए गए भुगतान और विचाराधीन सभी अन्य दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत, मुझे पता चला है कि आपके निम्नलिखित निर्धारित बकाया देय का, हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकबारगी व्यवस्थापन स्कीम 2025 के माध्यम से व्यवस्थापन किया गया है।

तालिका-II

क्रम संख्या	सुसंगत अधिनियम	निर्धारण वर्ष	व्यवस्थापन राशि
क.	ख.	ग.	घ.
1.			
2.			
	जोड़		

	क.	ख.	ग.	घ.	
	1.				
	2.				
		जोड़			
				_	
				आबकारी तथा कराधान	अधिकारी
				जिला वार्ड	
				पाउ	
			ओटीएस—5		
		-	खण्ड 6 और 8] •		
		रद्दकर	ण का आदेश		
सेवा मे,					
		विदक का नाम<<ऑटो पॉपुलेटेड>>			
		विदक का पता<<ऑटो पॉपुलेटेड>>	· · · ·		
		न/ आर सी संख्या (यदि लागू हो)<<ऑट	•		
^		।देश संख्या <<सिस्टम जनित>> तिथि <<ि	संस्टम जनित>>		
विषय: -		र्दकरण का आदेश।	,		
संदर्भः -		रूप ओटीएस–1 संदर्भ संख्या <<ऑटो पॉ	_	=	
		कप ओटीएस–3 संख्याए यदि लागू हो<		=	0
	न स्कीम,	के, आपने प्ररूप ओटीएस–1 के माध्य 2025 का विकल्प चुना है। आपके आवे के आवेदन को अस्वीकार करने के लिए	दन की जांच की गई और	उसे सही नहीं पाया गया अ	
(7	क)				
(7	ख)				
(=	ग)				
				<< अपलोड विकल	
आपकी वे	आ देयताओं के	ागे, यह सूचित किया जाता है कि स्कीम विरुद्ध समायोजित की जाएगी।	म के अधीन भुगतान की ग	ई राशि सुसंगत अधिनियम के	५ अधीन
			आबकारी तथा क		
			जिला वार्ड	I	

प्ररूप ओटीएस 6

[देखिए खण्ड 8]

सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी अपील प्राधिकारी, हरियाणा कर न्यायाधिकरण, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपील को वापस लेने के संबंध में सूचना

<<सिस्टम जनित संदर्भ संख्या>>

सेवा मे.

आबकारी तथा कराधान अधिकारी,

जिला<ड्रॉप डाउन> वार्ड<ड्रॉप डाउन>

आवेदक का नाम<<ऑटो पॉपुलेटेड>> आवेदक का पता<<ऑटो पॉपुलेटेड>>

टिन/आर सी नंबर(यदि लागू हो)<<ऑटो पॉपुलेटेड>>

विषय: - सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी अपील प्राधिकारी, हरियाणा कर न्यायाधिकरण, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपील को वापस लेना ।

संदर्भ – प्ररूप ओटीएस–1 संदर्भ संख्या<<ऑटो पॉप्लेटेड>>**तिथि**<<ऑटो पॉप्लेटेड>>

प्ररूप ओटीएस—1 में मेरी घोषणा और प्ररूप ओटीएस—4क में आपके आदेश <<ऑटो पॉपुलेटेड>> तिथि<<ऑटो पॉपुलेटेड>>के अनुपालन में, मैंने (आवेदक का नाम) <<ऑटो पॉपुलेटेड>>अपनी सुसंगत अधिनियम <<ऑटो पॉपुलेटेड>>के अधीन लंबित सभी अपीलों को वापिस ले लिया है जैसा कि निम्न तालिका में उल्लेखित है। ऐसी वापसी का प्रमाण इसके साथ संलग्न है।

क्रम संख्या	निर्धारण वर्ष	के समक्ष लंबित (प्राधिकारी के नाम का उल्लेख करें)

<<एकाधिक अपलोड विकल्प>>

मैं समझता हूँ कि प्ररूप ओटीएस—4 में व्यवस्थापन का अंतिम आदेश आधिकारिक प्राधिकारी द्वारा वापसी के ऐसे प्रमाण को स्वीकार करने पर ही पारित किया जाएगा।

(आवेदक का नाम)

स्थान: _____ << स्व - जिनत>>(संपादन योग्य)

तिथि: <<स्व - जनित>>

देविंदर सिंह कल्याण, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 27th March, 2025

No. 21/ST-1.— Whereas, it is expedient for the recovery of outstanding dues under the Haryana Settlement of Outstanding Dues Act, 2017 (35 of 2017), therefore, in exercise of the powers conferred under section 3 of the said Act, the Governor of Haryana hereby notifies the following scheme namely the Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues 2025, for recovery of quantified outstanding dues for the period as specified in the Act, subject to the following conditions and restrictions, namely:-

1. (1) This scheme may be called the Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2025.

Short title and commencement

(2) It shall come into force on such date, as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different relevant Acts covered under this scheme and any reference in any such provision to the commencement of this scheme shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

2. (1) For the purposes of this Scheme, unless the context otherwise requires,-

Definitions.

- (a) "applicant" means any assessee or any person who is liable to pay any outstanding dues under the relevant Acts, whether registered or not, and who desires to avail the benefit by applying under the Scheme;
- (b) "appointed day" means the date on which the provisions of this Scheme shall come into force;
- (c) "jurisdictional authority" means the appropriate assessing authority under whose jurisdiction the particular applicant falls;
- (d) "quantified outstanding dues" means any tax, interest, penalty or any other dues quantified under any of the relevant Act, unpaid by a person, for the period upto the 30th June, 2017;
- (e) "settlement amount" means the amount to be paid under the Scheme by the applicant for the settlement of his quantified outstanding dues;
- (2) Words and expressions used in this Scheme, but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the relevant Act.
- **3.** (1) The quantified outstanding dues to be recovered under this scheme shall be quantified outstanding dues as on the date of submission of application in Form OTS-1 under the Scheme subject to the conditions mentioned in other clauses of the scheme.

Determination of quantified Outstanding Dues.

- (2) The quantified outstanding dues shall be determined assessment year wise and slab for settlement under the scheme shall be determined as provided in Schedule-I.
- (3) The Demand and Disposal Register in Form G-3 as prescribed under rule 28(6) and 29(7) of the Haryana Value Added Tax Rules, 2003 shall be the conclusive proof of quantified outstanding dues only in the cases where no other record of assessment is available.
- 4. (1) The Scheme shall be applicable to the following Acts, namely:-
 - (i) The Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003);
 - (ii) The Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act 74 of 1956);
 - (iii) The Haryana Tax on Luxuries Act, 2007 (23 of 2007);
 - (iv) The Haryana Entertainment Duty Act, 1955 (Punjab Act 16 of 1955);
 - (v) The Haryana General Sales Tax Act, 1973 (20 of 1973).
 - (vi) The Haryana Local Area Development Tax Act, 2000 (13 of 2000);
 - (vii) The Haryana Tax on Entry of Goods in to Local Areas Act, 2008 (8 of 2008);
 - (2) An applicant may opt for the Scheme under any of the relevant Act.
- (3) Any amount paid under the Scheme shall be deposited under the Treasury Head of the relevant Act for which the Scheme is being opted for.
- (4) The applicant shall have to make only one application for all the years wherein he has quantified outstanding dues under a relevant Act for which he intends to settle his quantified outstanding dues in Form OTS-1 as per Schedule-I.
- (5) The applicant shall submit a declaration along with his application in form OTS-1 to the effect that the information furnished by him in the application form and in other forms under the Scheme, are true and correct to the best of his knowledge and the material/documents on record. No part of it is false and nothing has been concealed therein.
- (6) If an applicant conceals any of the years having quantified outstanding dues under a relevant Act for which he has opted, the application shall be rejected. The amount deposited alongwith OTS-1 for such an application shall be adjusted against his total quantified outstanding dues.

Scope and application of the scheme

Preconditions for determination ofquantified outstanding dues

- **5.** The quantified outstanding dues of an applicant under the relevant Act shall be determined subject to the following manner and conditions namely:-
 - (i) where purpose/category of the deposit made by an applicant before the appointed day of the Scheme, with regard to tax, interest or penalty is specified in the deposit application/treasury challan/receipt etc. issued by the department, the same has to be treated accordingly as specified.
 - (ii) where a deposit made by an applicant before the appointed day of the scheme for a relevant assessment year under a relevant Act, without specifying the purpose/category of the deposit with reference to tax, interest or penalty in his application for deposit/treasury challan/receipt etc. issued by the department, shall be firstly considered as deposit for tax component and, if any balance amount remains, it shall be thereafter adjusted towards interest and penalty for the relevant assessment year under the relevant Act.
 - (iii) a deposit for a particular year under a relevant Act shall be adjusted in that particular year only under that relevant Act out of quantified outstanding tax amount or the outstanding interest amount or the outstanding penalty amount. Further, no refund shall accrue to the applicant under the Scheme with regard to any excess payment made before the appointed day exceeding the tax component for the relevant assessment year under the relevant Act.
 - (iv) any amount that was deposited by an applicant before the appointed day shall be adjusted only towards his liabilities of the assessment year for which it was deposited. It shall be adjusted only if the year for which it is deposited is specifically mentioned in the treasury challan/ receipts. No benefit of any deposit shall be given if the year for which it is deposited is not specifically mentioned in the treasury challan/ receipts.
 - (v) where the total tax amount has been deposited by the applicant for the relevant assessment year under the relevant Act, before the appointed day, the applicant shall be eligible under the Scheme and the settlement amount under the Scheme in lieu of interest or penalty shall become "NIL" for the relevant assessment year under the relevant Act.
 - (vi) no refund shall accrue under any circumstance to an applicant out of the amount that was deposited before the appointed day of the Scheme which may be rendered in excess of the liabilities of the assessee by the operation of the waivers of the Scheme. Similarly, no such excess amount shall be carried forward and adjusted towards any other liability of the assessee for any period under the relevant Act.
 - (vii) where any amount deposited for settlement amount on/after the appointed day of the scheme till the date of submission of application Form OTS-1 under this scheme shall be counted towards the settlement amount of his quantified outstanding dues.

Settlement of quantified outstanding dues.

- **6.** (1) An applicant opting for settlement of quantified outstanding dues under this Scheme shall have to pay, by way of settlement, an amount in lieu of his quantified outstanding dues as mentioned in Schedule-I A.
- (2) The amount of interest and penalty under any section of the relevant Act shall be waived off for the particular year under the relevant Act for which the applicant has applied for and if the application is found in order for settlement.

Explanation.— The interest leviable under any section of the relevant Act on the quantified outstanding dues shall also be included in the interest mentioned under this clause.

(3) The applicant who has cumulative outstanding tax dues upto Rupees Ten Lakhs (Rs. 10 Lakh only) for all the assessment years in which there are quantified outstanding dues under the relevant Act, shall get a waiver of Rupees One Lakh out of the cumulative outstanding tax dues, if the application is found successful. An application shall be considered successful only if a settlement order in Form OTS-4 is issued to the applicant.

It is further made clear that no such waiver shall be admissible to the applicant having cumulative outstanding tax dues above Rs. 10 Lakhs in all the assessment years under a relevant Act for which he has applied under the scheme.

- (4) The applicant willing to avail any benefit including waiver mentioned in sub-clause (3) has to apply under the Scheme.
- (5) The applicant may opt to make payment of the amount required to be paid under the Scheme for settlement of his quantified outstanding dues either in lump sum or in such instalments as are listed under Schedule-II of this scheme.
- (6) The applicant shall make the payment for the second instalment within sixty days from the date of provisional order of settlement along with information in Form OTS-1A.
- (7) If payment is not made within the period specified in Schedule-II, the provisional order of acceptance shall be deemed to have been withdrawn and it shall be presumed as if the application was never made and the jurisdictional authority shall issue the order of rejection in FORM OTS-5 accordingly and proceedings under the applicable relevant Act shall be instituted against the applicant.
- (8) No refund of the settlement amount paid at any stage under the Scheme shall be allowed under any circumstances. It shall be adjusted out of the quantified outstanding dues against the applicant.
- 7. (1) Any applicant, who has quantified outstanding dues under the relevant Act as on the date of submitting application OTS-1 under this scheme, whether or not in appeal before the appellate authority, the Haryana Tax Tribunal, the Punjab and Haryana High Court or the Supreme Court under the relevant Act, may opt to apply under the Scheme for settlement of his quantified outstanding dues;

Provided that he shall withdraw such an appeal fully and unconditionally within a period of sixty days of communication of provisional order of settlement in Form OTS-4A.

Application procedure.

- (2) The applicant may opt for the scheme within one hundred and eighty days from the appointed day.
- (3) The applicant shall apply online in FORM OTS-1 along with proof of payment of the settlement amount or the first instalment, whichever is applicable.
- (4) On receipt of FORM OTS-1, a system generated acknowledgement shall be issued electronically to the applicant in FORM OTS-2.
- **8.** The procedure for processing of applications shall be in the following manner, namely:
 - a) The jurisdictional authority shall first check the application in Form OTS-1 with regard to its appropriate allocation of jurisdiction ward within a period of ten days from acknowledgment. In such cases where the application does not pertain to his ward, it shall be referred to the Deputy Excise and Taxation Commissioner for appropriate allocation. The Deputy Excise and Taxation Commissioner shall allocate correct ward to such application received by him within a period of ten days from the receipt of the request.
 - (b) The jurisdictional authority shall examine and verify the application in Form OTS-1 with regard to its propriety, correctness, computation of quantified outstanding dues and the corresponding settlement amount and legality in accordance with the provisions of the Scheme and relevant Act within a period of forty-five days from the date of its acknowledgment or the date of transfer to appropriate jurisdiction. He shall issue a settlement order in Form OTS-4 in all cases where the claim of the applicant is found to be in order with regard to its self-assessed settlement amount in view of the quantified outstanding dues and the provisions of the Scheme, proof of payment thereof and all other relevant particulars;

or

He shall issue an order of provisional settlement in Form OTS-4A where the claim of the applicant is found to be in order with regard to its self-assessed settlement amount in view of the quantified outstanding dues and the provisions of the Scheme, proof of payment thereof and all other relevant particulars but the applicant opted for instalment or is required to submit proof of withdrawal of appeal.

(c) (i) If there is any deficiency/discrepancy in the application OTS-1, a deficiency notice in the Form OTS-3 shall be issued to the applicant calling upon him to remove the deficiency/discrepancy and reply to the notice in Form OTS-3A within fifteen days of the issuance of this notice.

Verification of form and processing of application OTS-1.

- (ii) If the applicant removes the deficiency/discrepancy consequent upon the issuance of deficiency notice within the prescribed time to the satisfaction of the jurisdictional authority, an order of settlement in Form OTS-4 or order of provisional settlement in Form OTS-4A shall be passed by him in fifteen days from the receipt of reply in form OTS-3A.
- (d) Where the applicant fails to comply with the terms of the notice by way of furnishing a reply in OTS-3A to the said notice and to remove the deficiency/discrepancy, the application shall be rejected for the reasons to be recorded in writing and an order in the form of OTS-5 shall be passed with in fifteen days from receipt of the reply in form OTS-3A.
- (e) Such applicant who is interested to opt for the Scheme shall withdraw all the appeals or any other cases pending before the appellate authority, the Haryana Tax Tribunal, the Punjab and Haryana High Court or the Supreme Court under the relevant Act, fully and un-conditionally and submit proof of such withdrawal of appeal in FORM OTS-6 within sixty days from the receipt of FORM OTS-4A to the jurisdictional authority. The order of withdrawal shall be the conclusive proof in this respect.
- (f) In case FORM OTS-6 is not furnished within sixty days from the receipt of FORM OTS-4A, it shall be presumed as if the application was never made. The order of rejection of settlement in Form OTS-5 shall be passed and pending proceedings under the applicable relevant Act shall continue against the applicant.
- (g) Any proceeding pending before any appellate authority, the Haryana Tax Tribunal, the Punjab and Haryana High Court or the Supreme Court under the relevant Act, shall be kept in abeyance till the provisional order of settlement in form OTS-4A is passed under this scheme, for those applicants who have opted for this scheme.
- (h) If the applicant has furnished information by suppressing facts or by providing false information, concealing quantified outstanding dues for any of the years under the relevant Act for which application has been made, the amount claimed to have been deposited is found to be unpaid or re-utilized, the settlement order in OTS-4 or the provisional settlement order in OTS-4A shall be revoked and a rejection order in Form OTS-5 shall be passed by the jurisdictional authority.
- (i) Where order of rejection of settlement in FORM OTS-5 is is sued, the amount paid under this scheme, if any, by the applicant shall be adjusted against his liabilities under the relevant Act and such amount shall not be refunded in any case.
- (j) All the applications under the Scheme shall be processed electronically.
- **9.** (1) The applicants whose outstanding dues have been uploaded by the jurisdictional authority in FORM GST DRC-07A of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 for recovery of such dues under the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) shall also be eligible to take the benefit of the scheme.
- (2) The jurisdictional authority shall after successful issuance of FORM OTS-4 modify the demand created through FORM GST DRC-07A and issue FORM GST DRC-08A of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017.
- Privileges emanating from the final order of settlement

Provisions

under Rule

142(A) of the

and Services Tax Rules,

2017 for

recovery of

quantified outstanding dues of existing

1aw

Harvana Goods

- **10.** (1) The final order of settlement passed under this Scheme with respect to the amount payable under this Scheme shall be conclusive as to the matter and time stated therein and the applicant shall not be liable, -
 - (a) to pay any further tax, interest or penalty with respect to the matter and time period covered in the final order of settlement;
 - (b) to be prosecuted under the relevant Act with respect to the matter and time period covered in the order;
- (2) All the matters and time period covered by such order shall not be re-opened in any other proceedings under the relevant Act:

Provided that in case where any material particular furnished in the application is subsequently found to be false, it shall be presumed as if the application was never made and proceedings under the applicable relevant Act shall be instituted against the applicant.

11. Any amount of tax, interest or penalty or any other sum paid/deposited before the appointed day shall not be refunded and shall not be adjusted out of the settlement amount under the Scheme.

No refund of amount already paid before the appointed day as tax, interest or penalty.

12. Any amount payable under this scheme shall neither be paid through Input tax nor shall be allowed to be claimed as Input tax by any person under the relevant Act or any other Act.

Restrictions with regard to settlement.

13. The jurisdictional authority who has passed the settlement order under the Scheme, may rectify such order on his own motion or on application made to him in this regard, within a period of forty five days from the date of issuance of such order to rectify any error(s) which is apparent on the face of record in such order.

Rectification of errors.

14. If any difficulty arises in giving effect to any provisions of this Scheme, the Government may, by a general or a special order, make such provisions including amendment in forms not inconsistent with the provisions of this Scheme, as may be necessary or expedient for the purpose of removing the said difficulty.

Removal of difficulty.

15. In case of any doubt arising out of the Scheme, the decision of the Excise and Taxation Commissioner, Haryana thereon shall be final.

Removal of doubt

16. The following categories of applicants shall not be eligible for benefits under the Scheme for a particular year under a relevant Act, where,-

Applicant not eligible to opt the Scheme.

- (a) the demand relates to erroneous refund(s) in the particular year under the relevant Act;
- (b) criminal proceedings have been initiated in a case for a particular year under a relevant Act, the application shall not be entertained under the Scheme to avail settlement for that particular year under that relevant Act;
- (c) the applicant who had applied for availing benefits under the Haryana One Time Settlement Scheme, for Recovery of Outstanding Dues, 2023 and the application has not been rejected till the day before the appointed day i.e. the day of consideration of the quantified outstanding dues.
- 17. No appeal shall lie before any appellate authority under the relevant Act, before the Haryana Tax Tribunal, Punjab & Haryana High Court or Supreme Court against the final order of settlement or rejection passed by the jurisdictional authority under the Scheme.

No Appeal against the final order of settlement.

18. (1) The Government, either on its own motion or on representation from the stake holders may extend the time period for applying under the Scheme.

Extension of time period

- (2) The Joint Excise and Taxation Commissioner (Range) on case to case basis may extend time period for issuance of any notice or order to be issued under this scheme by the jurisdictional authority or allocation of correct ward by the Deputy Excise and Taxation Commissioner, for a further period of not more than thirty days for reasons to be recorded in writing.
- **19.** (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Government or any official/officer of the Government for anything which is done or intended to be done in good faith, in pursuance of the Scheme.
- (2) No proceeding shall be commenced against any official /officer merely on the ground of subsequent detection of an error in calculating the amount of quantified outstanding dues payable by the applicant, unless there is evidence of misconduct.

Indemnity

Schedule – I See clause 3 (2)

		Determination of slab of total quantified outstanding dues under a relevant Act						
Sr. No.	Name of the Act	Assessment Year(s)	Total quantified outstanding dues (including tax, interest & penalty)	Tax amount due out of column (D)	Interest amount due out of column (D)	Penalty amount due out of column (D)		
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)		
		For example 2017-18 (upto 30.06.2017)						
		2016-17						
	Only one	2015-16						
1.	Only one relevant Act	So on (Quantified outstanding dues for all the years must be included)						
		Grand Total						

Note:- The waiver shall be separately calculated for each of the relevant Act(s).

Schedule –I A

[see clause 6(1)]

Determination of settlement amount in lieu of quantified outstanding dues

Sr. No.	Slab of total quantified outstanding tax due as grand total of column (E) of Schedule–I (inRs.)	Waiver as per clause 6(3) of the scheme	Tax due for settlement under the scheme column (2) - column (3)	Settlement amount of Tax dues as in column (4)	Settlement amount of Interest as in column (F) of Schedule I	Settlement amount of Penalty as in column (G) of Schedule I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Upto Rs.10,00,000 (Ten Lakh)	Rs.1,00,000 (One Lakh)		40 %	0 %	0 %
2.	Above Rs.10,00,000 (Ten Lakh) to Rs.10,00,00,000 (Ten Crore)	0		50 %	0 %	0 %
3.	Above Rs.10,00,00,000 (Ten Crore)	0		100%	0%	0%

Schedule-II

[see clause 6(5)]

Option to pay in instalments

Serial Number	Settlement Amount under the scheme	Amount to be paid at the time of application	2 nd Instalment (within 60 days from the date of provisional order of settlement)	
1	2	3	4	
1.	Upto 10 Lakhs Rupees	Full and final settlement amount to be paid along with FORM OTS-1.	Nil	
2.	More than 10 Lakhs Rupees	50% of the settlement amount alongwith FORM OTS-1.	Balance 50% of the settlement amount alongwith intimation in FORM OTS-1 A.	

DEVINDER SINGH KALYAN, Principal Secretary to Government Haryana, Excise and Taxation Department.

Form OTS-1 (see clause 3, 4, 5, 7,8 & Schedules)

APPLICATION FORM FOR OPTING THE HARYANA ONE TIME SETTLEMENT SCHEME FOR RECOVERY OF OUTSTANDING DUES, 2025

<< System Generated Unique Number and Date>>

S	r.No.	Particulars	
1	(a)	Name of the Applicant (Please see the definition of applicant)	<< mandatory>>
	(b)	Registration No. under the relevant Act (if registered) (Please mention 'unregistered' if not registered)	<< mandatory>>
	(c)	PAN	< <mandatory>></mandatory>
	(d)	Mobile	<< mandatory>>
	(e)	E-mail id	<< mandatory>>
	(f)	SCO/Booth/Shop/Building/Flat/Floor No.	<< mandatory>>
	(g)	Sector/Area	<< mandatory>>
	(h)	City/Town/Village	<< mandatory>>
	(i)	District	< <drop down="">><<mandatory>></mandatory></drop>
	(j)	Pin Code	<< mandatory>>
	(k)	State	Haryana
	(1)	Jurisdictional District	<< Drop Down >>
	(m)	Jurisdictional Ward	<< Drop Down >>
2	(a)	Name of the Authorized signatory **	<< mandatory>>
	(b)	Email id of the authorized signatory	<< mandatory>>
	(c)	Mobile no. Of the authorized signatory	<< mandatory>>
	(d)	Any ID Proof of the authorized signatory (PAN/Aadhar Card/Driving License/ Voter ID Card/Passport/PPP or any other Government issued ID card)	<< upload option>> + comment box << mandatory>>
Name of the relevant Act ar submitted. (See clause 4 of the scheme)			Relevant Act< <drop down="">> Assessment Year <<dro down="">></dro></drop>
			(only one relevant Act &Multiple assessment yearscan be chosen)
ļ	Whethe	er outstanding dues are 'quantified or not quantified'	Quantified Not Quantified << if not quantified selected, then OTS 1 should not be generated:

5	Whether any cases are pending before any appellate authority under the relevant Act, Haryana Tax Tribunal, High Court, or Supreme Court.							If Yes is selected then following multiple comment boxes should open: 1. Case Number 2. Pending before Authority 3. Date of filling Appeal/ caseNo. < <mandatory field="">></mandatory>		
6	Whether criminal proceedings have been initiated against the applicant for any reason(s) under the relevant Act;						No <<< Dro		inancial cant can	
7	Whe	ther the demand	l relates to erro	oneous refun	d(s) under t	the Relevant A	ct Yes No < <ii dro="" multi<="" td="" the="" yea=""><td>f yes selected</td><td>inancial</td></ii>	f yes selected	inancial	
8	Whether applied for Haryana One Time Settlement Scheme, for recovery of Outstanding Dues, 2023 and the application has not been rejected till date under the Relevant Act Yes No							If yes, Drop dencialyear and ment box for erence number, the applicant	OTS 1 r and nt can	
9	Dete	rmination of sla	b of total quar	tified outsta	nding dues	under a releva	nt Act as	per Schedule	-I	
Sr.No.		Name of the Act	Assessment Year(s)	Order No. vide which outstandin g dues were quantified << mandator y>>	Date of order<< mandato ry>>	Total quantified outstanding dues	Tax amoun t due out of colum n (F)	Interest amount due out of column (F)	Penalty amount due out of column (F)	
(A	7)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	
1		Only one Relevant Act < <drop Down>></drop 	<< Drop Down>> Multiple years							

Grand									
Total Note:		mentioned in Si	No 6 7 &	R shall not be	included in t	his table			
10	,	rmination of sett					s as ner So	chedule 1-A	
10	Deter	minution of set	icinent anio	unt in neu or	quantifica ot	itstanding ducs	s as per se	chedule 1 71	
Sr.No.		Slab of Total quantified outstanding Tax dues as grand total of column G of Sr. No.9	Waiver as per clause 6(3) of the Scheme	Tax due for settlement under the Scheme (Column (2)- (3))	Settlement amount of tax dues as in column (4)	Settlement amount of interest as grand total of column (H) of Sr. No. 9	Settlem ent amount of penalty as grand total of column (I) of Sr. No. 9	Total Settleme (Column no	
((1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8))
	1	Upto Rs. 10,00,000 (Ten Lakh)	Rs. 1,00,000 (One Lakh)	< <autopop ulate>></autopop 	40% < <auto populate >></auto 	0% < <auto populate>></auto 	0%<< auto popula te>>	< <auto pop<="" td=""><td>ulate>></td></auto>	ulate>>
	2	Above Rs.10,00,000 (Ten Lakh) to 10, 00,00,000 (Ten Crore)	0	< <auto< td=""><td>50% <<auto populate >></auto </td><td>0% <<auto populate>></auto </td><td>0%<< auto popula te>></td><td colspan="2"><<autopopulate>></autopopulate></td></auto<>	50% < <auto populate >></auto 	0% < <auto populate>></auto 	0%<< auto popula te>>	< <autopopulate>></autopopulate>	
í-	3	Above Rs.10, 00,00,000 (Ten Crore)	0	< <auto< td=""><td>100% <<auto populate >></auto </td><td>0% <<auto populate>></auto </td><td>0%<< auto popula te>></td><td colspan="2"><<autopopulate>></autopopulate></td></auto<>	100% < <auto populate >></auto 	0% < <auto populate>></auto 	0%<< auto popula te>>	< <autopopulate>></autopopulate>	
	4	Total							
11	Total	settlement amo	unt as per 10	0(8)				Auto por figure of 10(8)	
12	Categ	gory of Settleme	ent of dues a	s per 10(8)				Upto 10 Above 10 lacs< <au populate</au) to
13	Whether Installment Facility opted Yes No NA (if dues Sr.No. 12 is up 10 lacs)								
4		llment Schedule		ı					1
	Sr. No.	Total settlement amount	Amount of 1st installment (alc OTS-1)	ngwith	Date o	of 1 st installment		Amount of 2 nd Installment	Date of 2 installment
		ī		ı				1	i
	(1)	(2)	(3)			(4)		(5)	(6)

		ents made.				
	Sr. No	Serial number of the GRN	Date of the GRN	Serial number of CIN	Date of CIN	Amour (in Rs.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1					
	2					
	I agree that	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	have been checked and not previous	sly used anywhere.	Total	
16	Documents	to be uploaded			Perman Account Number Assessmorder vision which dowere quantifications appeals Proof or payment Any other accounts and appeals	t r ment ide lues ed f g , if an f ut
	Declaration	•			docume	/IIt
17			rmation furnished by me in	the application form and	l in other doc	umen
17	I herei under the so No part of it The I after fully u this relevant relevant act settlement o that in case	in declare that the inforcheme, are true and cort is false and nothing he Haryana One Time Senderstanding its terms It is further declared act has not been concist found concealed in provisional settlement I also affirm that I wof failure to pay any p	rmation furnished by me in rect to the best of my know as been concealed therein. ttlement Scheme for recover and conditions thereof. It that any of the years where ealed. If any year wherein in future, my application slat, if passed, shall be revoked will discharge the settlement ending amount, any payment evant Act and shall not be	rein I have quantified out I have quantified outstan hall be liable to be rejected. t amount as applicable to ent made under the Schei	ocuments on 2025 has bee estanding due ding dues un cted or any of o me. I further	recorn optons und der the order

Note: -All the amount to be paid in Rs.

**

Constitution of Business	Person who can be authorized to file the application of OTS
Proprietorship	Proprietor
Partnership	Managing/Authorized Partners
Hindu Undivided Family	Karta
Private Limited Company	Managing/Whole-time Directors
Public Limited Company	Managing/Whole-time Directors
Society/Club/Trust/AOP	Members of Managing Committee
Government Department	Person In charge
Public Sector Undertaking	Managing/Whole-time Directors
Unlimited Company	Managing/Whole-time Directors
Limited Liability Partnership	Designated Partners
Local Authority	Chief Executive Officer or Equivalent
Statutory Body	Chief Executive Officer or Equivalent
Foreign Company	Authorized Person in India
Foreign Limited Liability Partnership	Authorized Person in India
Others (specify)	Person in charge

Form OTS-1A

(see schedule II)

INTIMATION FOR SECOND INSTALLMENT UNDER THE HARYANA ONE TIME SETTLEMENT SCHEME FOR RECOVERY OF OUTSTANDING DUES, 2025

<<System Generated Unique Number and Date>>

Sr.	No.	Particulars						
1.	(a)	Name of the A	pplicant		<< auto populated>>			
	(b)	(if registered)	o. under the releven 'unregistered' i		<< auto populated:	>>		
	(c)		ated Unique Num			Input Box<< auto	populated>>	
	(d)	System General FORM OTS -	ated Unique Num	ber & Da	ate of	<< auto populated:	>>	
	(e)	Jurisdictional 1	District			<< auto populated:	>>	
	(f)	Jurisdictional	Ward			<< auto populated:	>>	
2.	(a)	Name of the A	uthorized signato	ry		<< auto populated:	>>	
	(b)	Email id of the	e authorized signa	tory		<< auto populated:	>>	
	(c)	Mobile no. Of	the authorized sig	gnatory		<< auto populated:	>>	
3.	Name of	the relevant Act				Relevant Act< <aut< td=""><td>to populated>></td><td></td></aut<>	to populated>>	
4.	Total set	lement amount	as per Sr.No.11 of	FORM		< <auto< td=""><td></td></auto<>		
5.			as per FORM O					
6.			auto populated fro				T	
	Sr.No.	Total settlement amount	Amount of 1st installment paid with OTS-1		of 1 st lment	Amount of 2 nd Installment	Date of 2 nd installment	
	(1)	(2)	(3)	(4	4)	(5)	(6)	
	1							
7.	Installme	ent amount to be	paid as per 6(5) a	bove	•			
8.	Details o	f Payments mad	e.		T			1
	Sr. No	Serial number of the GRN	Date of the C	GRN Seria		al number of CIN	Date of CIN	Amount (in Rs.)
	(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)
	1							
	2							
		gree that GRN viously used any		d above	have bee	en checked and not	Total	
9.	Documen	nts to be uploade	d				 Proof or payment Any otherd 	

Declaration:

I herein declare that the information and declarations stated herein above are true and correct to my knowledge and belief and that nothing has been concealed therein. The Haryana One Time Settlement Scheme for recovery of outstanding dues, 2025 has been opted after fully understanding its terms and conditions thereof.

I also affirm that I have discharged the settlement amount as applicable to me. I further affirm that in case any contravention of provision of this scheme has been made by me, the payment made under the Scheme shall be adjusted against my liabilities under the Relevant Act and shall not be refunded in any case.

(Name of the applicant)

Place: _____ <<auto generated>>(editable) Date: <<auto generated>>

Note: -All the amount to be paid in Rs.

FORM OTS-2 (see clause 7(4))

Acknowledgement of Application OTS-1

Your application in Form OTS-1, reference	nodated	for settlement of quantified
outstanding dues, pertaining to	(Name of the Relevant Act),	under the Haryana One Time
Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues,	2025 is hereby acknowledged.	
	E	xcise and Taxation Department
		Government of Haryana

** This is a system generated acknowledgement and does not require any signature **

FORM OTS-3

(see clause 8)

Deficiency Notice

To

Name of the applicant<< auto populated >> Address of the applicant<< auto populated >> TIN/RC No. (if applicable)<< auto populated >>

OTS 3 Reference No.<< system generated>>Dated<<system generated>>

Subject: - Deficiency Notice.

Reference: - FORM OTS 1Reference No.<No.<Dated<auto-populated<>>

Whereas you have made an application under The Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2025. Upon examination of your application in Form OTS-1, the following deficiencies/discrepancies have been observed:

(i)

(ii)

(iii)

<< Upload option>>

Your reply to this notice must reach the undersigned in FORM OTS-3A alongwith proof of payment (if any) within fifteen days of receipt of this notice. In case of failure to comply with the terms of this notice, your application will be rejected without further notice and the payment made under the Scheme shall be adjusted against your liabilities under the Relevant Act and shall not be refunded in any case.

Excise and Taxation Officer
District
Ward

FORM OTS 3A

(see clause 8)

Reply to Deficiency Notice

To

The Excise & Taxation Officer,

District<<auto populated>> **Ward**<<auto populated>>

Name of the applicant<< auto populated>>
Address of the applicant<< auto populated>>
TIN/RC No. (if applicable)<< auto populated>>

Subject: - Reply to Deficiency Notice in FORM OTS 3.

Reference: - FORM OTS 3Reference No.<< auto populated>>**Dated**<<auto populated>>

This is with reference to the deficiency notice issued in **FORM OTS 3** vide no.<< auto populated>> dated << auto populated>> from your office. The point wise reply to the deficiencies/discrepancies raised is as under:

a)

b)

c)

Detail of Payment made with OTS 3A						
Sr.Serial number of No.Date of the GRNSerial number of CINDate of CIN (in Rs.)						
(1) (2) (3) (4) (5) (6)						
1						
Total						
Documents to be uploaded 1. Proof of payment						
				2. Any other do	cument	

(Name	of the	applicant)

Place: _____

<<auto generated>>(editable)
Date: <<auto generated>>

Note:-All the amount to be paid in Rs.

FORM OTS-4A

(see clause 6,7 &8)

Order of Provisional Settlement

To

Name of the applicant<<auto populated>>
Address of the applicant<<auto populated>>
TIN/RC No. (if applicable)<<auto populated>>

Order No.<<system generated>>**Dated**<< system generated>>

Subject: - Provisional Order of Settlement.

Reference: - **FORM OTS 1 Reference No.**<<auto populated>> **Dated**<<auto populated>>

Whereas, you have opted for The Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2025. On examination, your application has been found to be in order. Accordingly, the order of provisional settlement is, hereby, passed as follows:

Name of the Relevant Act << auto populated>>

Assessment Year(s)<<auto populated/ editable>>

Table-I

Determination of slab of total quantified outstanding dues under a relevant Act as per Schedule-I << auto populated and editable table of dues as per form OTS-1 Sr.No.9>>								
Sr.No.	Name of the Act	Assessment Year(s)	Order No. vide which outstanding dues were quantified<< mandatory>>	Date of order<< mandatory >>	Total quantified outstanding dues	Tax amount due out of column (F)	Interest amount due out of column (F)	Penalty amount due out of column (F)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)
1	Only one Releva nt Act < <drop down="">></drop>	<< Drop Down>> Multiple years						
	Grand To	otal						

Note: Years mentioned in Sr.No. 6, 7&8 of OTS-1 shall not be included in this table.

Table-II

Determin	Determination of settlement amount in lieu of outstanding dues as per Schedule-IA << auto populated and editable table of dues as per form OTS-1 Sr.No.10>>						
Sr.No.	Slab of Total quantified outstanding Tax dues as grand total of column G of Table-I	Waiver as per clause 6(3) of the Scheme	Tax due for settlement under the Scheme (Column (2)-(3))	Settleme nt amount of tax dues as in column (4)	Settlement amount of interest as grand total of column (H) of Table-I	Settlement amount of penalty as grand total of column (I) of Table-I	Total Settlement Amount (Column no 5+6+7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Upto Rs. 10,00,000 (Ten Lakh)	Rs. 1,00,000 (One Lakh)	< <auto< td=""><td>40% <<auto populate> ></auto </td><td>0% <<auto populate> ></auto </td><td>0%<<auto< td=""><td><<auto populate="">></auto></td></auto<></td></auto<>	40% < <auto populate> ></auto 	0% < <auto populate> ></auto 	0%< <auto< td=""><td><<auto populate="">></auto></td></auto<>	< <auto populate="">></auto>

2	Above Rs. 10,00,000 (Ten Lakh) to 10, 00,00,000 (Ten Crore)	0	< <auto< th=""><th>50% <<auto populate >></auto </th><th>0% <<auto populate> ></auto </th><th>0%<<auto< th=""><th><<auto populate="">>></auto></th></auto<></th></auto<>	50% < <auto populate >></auto 	0% < <auto populate> ></auto 	0%< <auto< th=""><th><<auto populate="">>></auto></th></auto<>	< <auto populate="">>></auto>
3	Above Rs.10, 00,00,000 (Ten Crore)	0	< <auto populate> ></auto 	100% < <auto populate >></auto 	0% < <auto populate> ></auto 	0%< <auto< th=""><th><<auto populate="">></auto></th></auto<>	< <auto populate="">></auto>
4	Total						

Table-III

	Installment Schedule << auto populated but editable>>						
Sr.N o.	Total settlement amount	Amount of 1 st installment paid with OTS-1	Date of 1 st installment	Amount of 2 nd Installment	Date of 2 nd installment		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1							

Table-IV

Sr.	Particulars	Amount (Rs.)
No.		
(i)	Settlement amount payable as per Table-II	
(ii)	Less: Amount paid by the applicant	
(iii)	Balance (1-2)	

This is a provisional order and the final order of settlement in **FORM OTS 4** shall only be passed after full payment and submission of proof of withdrawal of pending appeals in **FORM OTS 6**, if applicable.

Excise and Taxation Officer
District
Ward

FORM OTS-4

(see clause 6 and 8)

Final Order of Settlement

To

Name of the applicant<< auto populated>>
Address of the applicant<< auto populated>>
TIN/RC No. (if applicable)<< auto populated>>

Order No.<< system generated>> Dated << system generated>>

Subject: - Final Order of Settlement.

Reference: - FORM OTS 1 Reference No.<< auto populated>> Dated << auto populated>>

Whereas, you have opted for The Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2025. Your application has been examined in detail, accordingly the final order of settlement is hereby passed as under:

Name of the Relevant Act << auto populated>>

Assessment Year(s)<< auto populated/ editable>>

	Table-I				
Sr. No.	Particulars	Amount (Rs.)			
1.	Settlement Amount payable as per FORM OTS-1/OTS-4A				
2.	Less: -				
	a) Amount paid by the applicant in FORM OTS 1 (1 st installment)				
	b) Amount paid by the applicant in intimation FORM OTS 1A (2 nd installment)				
3.	Balance (1-2)	< <it be="" should="" zero="">></it>			

The appeals pending if any, before any Appellate Authority under the relevant Act, Haryana Tax Tribunal, Punjab & Haryana High Court or Supreme Court have been withdrawn and proof of such withdrawal of appeal has been submitted in **FORM OTS-6**, bearing number <<auto populated>>dated<<auto populated>>.

On perusal of your application, payments made, and all other documents in consideration, I find that your following quantified outstanding dues have been settled through The Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2025.

Table-II

Sr. No.	Relevant Act	Assessment Year(s)	Settlement Amount
(a)	(b)	(c)	(d)
1.			
2.			
	Total		

Excise and Taxation Officer	
District	
Ward	

ORM OTS-5

(see clause 6 & 8)

Order of Rejection

To

Name of the applicant << auto populated>>
Address of the applicant << auto populated>>
TIN/RC No. (if applicable) << auto populated>>

Order No.<< system generated>>Dated<< system generated>>

Subject: - Order of Rejection.

Reference: - FORM OTS 1 reference No.<< auto populated>>dated<< auto populated>>

FORM OTS-3No., if applicable<< auto populated>>dated<< auto populated>>

Whereas, you have opted for the Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2025 vide **FORM OTS -1.**Your application was examined and was not found in order and the following reasons have been recorded to reject your application in **FORM OTS 1**: -

- (a)
- (b)
- (c)

<<upl>upload option>>

Further, it is intimated that the amount paid under the scheme shall be adjusted against your liabilities under the Relevant Act.

Excise and	Taxation	Officer
District		
Ward		

FORM OTS 6

(see clause 7 & 8)

Intimation regarding withdrawal of pending Appeal before any Appellate Authority under the relevant Act, Haryana Tax Tribunal, Punjab & Haryana High Court or Supreme Court.

<<system generated reference number>>

To

Date: <<auto generated>>

The Excise & Taxation Officer,

District <auto populated> Ward <auto populated>

Name of the applicant<< auto populated>>
Address of the applicant<< auto populated>>
TIN/RC No. (if applicable)<< auto populated>>

Subject: - Withdrawal of Appeal pending before any Appellate Authority under the relevant

Act, Haryana Tax Tribunal, Punjab & Haryana High Court or Supreme Court.

Reference: - FORM OTS 1 Reference No.<> Dated<> Dated> Dated<

In compliance of my declaration in FORM OTS-1 and your order in FORM OTS 4A bearing number << auto populated >> dated << auto populated >>, I (name of the applicant) << auto populated >> have withdrawn the appeal(s) mentioned in the table below under the <<auto

populated>>(name of the relevant act). The proof of such withdrawal is/are annexed herewith.

Sr.No.	Assessment Year	Pending Before (mention the name of the Authority)
		<multiple option="" upload="">></multiple>
I understand that final order of settlement in FORM OTS 4 shall only be passed by the		
jurisdictional authority on acceptance of such proof of withdrawal.		
		(Name of the applicant)
Place:		
< <auto generated="">>(editable)</auto>		

DEVINDER SINGH KALYAN, Principal Secretary to Government Haryana, Excise and Taxation Department.

11769—C.S.—H.G.P., Pkl.